कार्यालय : अंचल अधिकारी, चौपारण (हजारीबाग)

विविध वाद न0 : 01 / 24–25

श्रीमती मैमून निशा पति इसराइल अंसारी, कमलवार
–बनाम–
मो0 अब्बास मियां अंसारी पिता बकरली मियां,कमलवार

दिनांक	आदेश पत्रक	अभ्युक्ति
25.06.24	आवेदिका मैमून निशा पति इसराइल अंसारी, मौजा कमलवार द्वारा आवेदन प्राप्त हैं कि मौजा कमलवार के खाता सं0–30 प्लॉट सं0–359 की भूमि पर अबुआ आवास, जो मुझे मिला हैं, बनाने पर हमारे भाईयों द्वारा जबरन रोक लगाया जा रहा हैं जिसके कारण अपना आवास नही बना पा रही हूँ। आवेदनद पत्र का जाँच कर जाँच प्रतिवेदन राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांग करें। अभिलेख दिनांक 06.07.24 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी चौपारण	
06.07.24	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। उन्होनें प्रतिवेदित किया हैं कि – **सर्वे खतियान के अनुसार** – ग्राम कमलवार के सर्वे खतियान के खाता सं0–30 रोजन मियां के नाम से दर्ज हैं, के अंतर्गत प्लॉट सं0–359 कुल रकबा 0.31 ए0 सर्वे खतियान में अंकित हैं। उक्त खाता सं0–30 रैयती खाते की भूमि हैं। **चालु पंजी 2 के अनुसार** – पृष्ठ सं0–18/IV पर खाता सं0–30 कुल रकबा 3.61½ ए0 की जमाबंदी करमली मियां पिता इमामी मियां के नाम से कायम हैं। प्राधिकार कॉलम में दर्ज हैं कि अनुमण्डल पदाधिकारी के वाद सं0–7/85–86 के आदेशानुसार जमाबंदी कायम किया गया हैं। जिसका लगान रसीद वर्ष 2014–15 तक निर्गत दर्ज हैं, पंजी II के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि पृष्ठ सं0–42/I से लाया गया हैं। **स्थल जाँच के अनुसार** – राजस्व उप निरीक्षक/प्र0 अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया हैं कि उक्त संबंधित भूमि जितना पर घर बनाया जा रहा हैं। उस भूमि पर आवेदिका का दखल कब्जा बताया गया। उसी भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा मकान बनाने में रोक लगाया जा रहा हैं। उभय पक्षों को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत करें, अभिलेख दिनांक 16.07.24 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी चौपारण।	
15.07.24	उभय पक्ष दिनांक 15.07.2024 को उपस्थित, उनके द्वारा दिनांक 16.07.2024 को व्यस्तता के कारण सुनवाई हेतु निवेदन किया गया। अतः दिनांक 15.07.2024 को अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं लिखित बयान के स्पष्ट होता हैं कि दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं मामला स्वत्व से संबंधित हैं जिसका निस्तारण इस न्यायालय द्वारा नही किया जा सकता हैं। अतः उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में स्वत्व निर्धारण हेतु वाद दायर कर सकते हैं। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं। लेखापित एवं शुद्धित अंचल अधिकारी चौपारण अंचल अधिकारी चौपारण।	

Digitally signed by Sanjay Kumar Yadav
Date: 2025.11.11 13:03:42 +05:30
Location: 10.28.99.200